UPRB010002802024

**न्यायालय प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, रायबरेली।**

**पीठासीन अधिकारी–** कुशलपाल

**(एच 0 जे0 एस 0)**

**व्यवहार अपील संख्या –06/2024**

शिवसागर आयु लगभग 70 वर्ष पुत्र गुरूदीन, निवासी ग्राम जमोदीप, मजरे तिलोई, परगना मोहनगंज, तहसील तिलोई, जिला रायबरेली।

**......अपीलाण्ट**

**प्रति**

1. अभिषेक चौरसिया आयु लगभग 44 वर्ष पुत्र घनश्याम चौरसिया।
2. रोशनी चौरसिया आयु लगभग 45 वर्ष पुत्री घनश्याम चौरसिया।
3. अंजली चौरसिया आयु लगभग 34 वर्ष पुत्री घनश्याम चौरसिया।
4. श्रीमती रामकुमारी आयु लगभग 56 वर्ष पत्नी घनश्याम चौरसिया।

समस्त निवासीगण ग्राम तिलोई, परगना मोहनगंज, तहसील तिलोई, जिला रायबरेली।

**...........प्रतिपक्षीगण**

**निर्णय**

प्रस्तुत व्यवहार अपील अपीलकर्ता शिवसागर द्वारा प्रतिपक्षीगण अभिषेक चौरसिया व अन्य के विरूद्व मूल वाद संख्या–535/2004, राम नारायण बनाम शिवसागर आदि में विद्वान अपर सिविल (सी०डि0)/ए.सी..जे.एम., रायबरेली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.12.2023 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने वादी का वाद सव्यय आज्ञप्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिये गये हैं कि यह सर्वस्थापित कानून है कि वादी को विवादित भूमि की पहचान करना आवश्यक है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसका मुकदमा खारिज हो जाना चाहिए। इसमें वादी भूमि की पहचान करने में पूरी तरह विफल रहा है। अवर न्यायालय ने गलत तरीके से निर्णय सुनाया है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न स्थल योजना का पुरजोर खंडन किया गया है और उसने लिखित बयान के साथ एक अलग नक्शा प्रस्तुत किया है जो आयोग की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शे से मेल खाता है, तथा वादपत्र के साथ संलग्न स्थल योजना

आयोग की रिपोर्ट से पूरी तरह भिन्न है, फिर भी अवर न्यायालय ने वादी के मुकदमें को स्वीकार करने में गलती की है। प्रतिवादी संख्या 4 ने अलग से लिखित बयान दाखिल करके अपीलकर्ता के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया और वादी के मामले को झूठा साबित किया, लेकिन निचली अदालत ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया। अवर न्यायालय का दृष्टिकोण ऐसा रहा है मानो प्रतिवादी को अपना मामला साबित करना होगा जबकि कानून इसके विपरीत है। विवादित भूखंड संख्या 1737 एक बड़ा भूखंड है जो विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर अलग–अलग क्षेत्रफलों के साथ दर्ज है और ऐसे मामले में राजस्व न्यायालय को ऐसे विवाद का निर्णय करने का अधिकार है, लेकिन अवर न्यायालय ने गलत तरीके से उस अधिकार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। वादी विवादित भूखंड के नाम पर दर्ज सभी व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने में विफल रहा। इसके बावजूद अवर न्यायालय ने वादी के मुकदमें को स्वीकार करने में गलती की है। अवर न्यायालय ने उत्तर प्रदेश जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम की धारा 9 और धारा 123 का सहारा लिया है, जिसके बारे में वादी ने जरा भी जिक्र नहीं किया है। वादी और उसके गवाह वादी के बयान को साबित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं, फिर भी अवर न्यायालय ने वादी के मुकदमें को स्वीकार करने में गलती की है। अवर न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 और 102 की उचित व्याख्या नहीं की है। अवर न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से बताए गए मामले के कानूनी प्रावधानों का हवाला देने में विफल रही। वादी अवर न्यायालय के समक्ष स्वच्छ नीयत से पेश नहीं हुआ है और उसने जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, इसलिए वह किसी भी राहत का हकदार नहीं है। विवादित भूखंड का वह बहुत छोटा सा हिस्सा वादी के नाम पर दर्ज है, जिसपर उसका घर भी मौजूद है, जो उसके नाम पर दर्ज संपूर्ण क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन वादी ने इस महत्वपूर्ण पहलू का कभी खुलासा नहीं किया और न ही इसकी व्याख्या की, जो वादी के मामले को नकारता है। अपीलकर्ता ने अपना दावा पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर किया है और उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसके बारे में निचली अदालत ने उल्लेख किया है कि वह इसे साबित नहीं कर सका, जबकि स्थापित कानून यह है कि प्रतिवादी, वादी के मामले को सीधे तौर पर नकार सकता है और उसे स्वयं या किसी और के नाम पर स्वामित्व का आधार बनाने की आवश्यकता नहीं है। अवर न्यायालय का वह निर्णय और आदेश विकृत है और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। अवर न्यायालय का वह निर्णय और आदेश कानून, तथ्यों और मामले की योग्यता के विरुद्ध है। अतः माननीय न्यायालय अपील को खर्च सहित स्वीकार करने और दिनांक 20.12.2023 को पारित निर्णय और डिक्री को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

दौरान विचारण पक्षकारों की ओर से सुलहनामा का0 सं0 33 क अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 एवं धारा 151 जा0 दी0 इन अभिकथनों से साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में अपर कलेक्टर वित्त एवं राजस्व द्वारा अन्तर्गत धारा 38 (1) उ०प्र० राजस्व सहिता 2006 दिनांक 31–7–2025 को गाटा सं0–1737 स्थित ग्राम व तह० तिलोई जनपद अमेठी के विभिन्न खातेदारों की जमीन का भौतिक विभाजन कर दिया गया है तथा सभी खातेदारों की जमीन अलग–अलग प्रदर्शित कर दी गयी है। उक्त भौतिक विभाजन से उभयपक्ष सहमत है तथा जिस पक्ष को जो अंश प्रदान किया गया है, उससे दूसरे पक्ष का कोई वास्ता सरोकार नहीं रह गया है। उक्त फैसला उभयपक्ष को मान्य है। न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अमेठी वाद संख्या D202304710000775 में बनाया गया बंटवारा नक्शा सुलहनामें व डिक्री का अभिन्न अंग करार दिया जाता है। असल मानचित्र बंटवारा सुलहनामें के साथ दाखिल है जो कां० 28 ग 2/8 का मूल नक्शा है। उभयपक्ष अपना–अपना खर्चा मुकदमा स्वयं वहन करेगें। अतः उपरोक्त सुलहनामा की शर्तों को डिकी का अंश करार देते हुए तदानुसार वाद का निस्तारण किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादी का वाद सव्यय आज्ञप्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त आदेश दिनांकित–20.12.2023 से क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी।

अपीलकर्ता की ओर से यह बहस की गयी कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा विधि के अनुरूप नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा यह भी तर्क लिया गया कि उभयपक्ष द्वारा मूलवाद में सुलहनामा का0 सं0 33 क प्रस्तुत कर वाद का निस्तारण सुलहनामें के आधार पर किये जाने की याचना करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा0 दी0 प्रस्तुत किया गया था ।

सुलहनामा प्रार्थना–पत्र **33 क** पर वादी के चस्पा फोटोग्राफ व उनके हस्ताक्षर की पहचान उनके अधिवक्ता श्री शैलेश पाल एडवोकेट द्वारा एवं प्रतिवादीगण के चस्पा फोटोग्राफ एवं उनके हस्ताक्षर की पहचान उनके अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता एडवोकेट के द्वारा किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत सिविल अपील अपीलार्थी के द्वारा मूल वाद संख्या 535/2004 में न्यायालय द्वारा पारित आदेश व निर्णय दिनांक 20.12.2023 के विरुद्ध योजित किया गया था। उक्त वाद वादी रामनारायन द्वारा भूमि संख्या 1737 छ का स्वयं को मालिक व काबिज होना कहते हुए वादपत्र के नक्शा नजरी में अक्षर क ख ग घ से दर्शित भू–भाग के बाबत स्थायी व्यादेश व अनुतोष योजित करते हुए

प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी/ अपीलकर्ता द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर गाटा संख्या 1727 में वादी व प्रतिवादी के अतिरिक्त अन्य लोगों के सहखातेदार होने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया कि भूमि वादी की भूमि नहीं है एवं गाटा संख्या 1737 छ स्पष्ट नहीं है।

उभयपक्षों द्वारा सुलहनामा कागज संख्या 33 क प्रस्तुत कर अपर कलेक्टर राजस्व एवं वित्त द्वारा अंतर्गत धारा 38(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, 31.07.2025 के द्वारा गाटा संख्या 1237 स्थित ग्राम व तहसील तिलोई जनपद रायबरेली के विभिन्न खातेदारों के मध्य जमीन का भौतिक विभाजन करते हुए नक्शे में सभी खातेदारों की जमीन अलग–अलग प्रदर्शित कर दिये जाने का कथन किया है। उक्त विभाजन से उभयपक्ष सहमत हैं। सुलहनामा के साथ नक्शा नजरी तथा निर्णय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अमेठी, वाद संख्या D202304710000775 में बनाया गया बंटवारा नक्शा सुलहनामा को डिक्री का अभिन्न अंग बनाये जाने की भी याचना की गई है।

उपरोक्त प्रपत्रों का परिशीलन किया। प्रपत्रों के परिशीलन से सुलहनामा में वर्णित तथ्यों का समर्थन होता है एवं पक्षकारों के बीच गाटा संख्या 1737, जो गाटा संख्या 1737 के सहखातेदार हैं, उक्त गाटा में उनके हिस्से को भिन्न–भिन्न रंग से दर्शित किया जाना दर्शित होता है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत अपील का निस्तारण उक्त सुलहनामा कागज संख्या 33 क किया जाना समीचीन दर्शित होता है।

## आदेश

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत व्यवहार अपील संख्या–06/2024, शिवसागर बनाम अभिषेक चौरसिया, सुलहनामा कागज संख्या 33 क के आधार पर निर्णीत की जाती है। सुलहनामा एवं निर्णय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अमेठी, वाद संख्या D202304710000775 में बनाया गया बंटवारा नक्शा, सुलहनामा व डिक्री का अंश करार दिया जाता है।

परिस्थितियों के दृष्टिगत पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

निर्णय/ आदेश की प्रति अभिलेख के साथ विद्वान अवर न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित किया जाये ।

<u>दिनांक– 17.03.2026</u>

**(कुशलपाल)**
UPID 6165
प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश,
रायबरेली।

आदेश एवं आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

<u>दिनांक–17.03.2026</u>

**(कुशलपाल)**
UPID 6165
प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश,
रायबरेली।

Vishnu Prakash Srivastava
(Stenographer)